



## SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)  
Sugandha Bhavan  
N.H.By-pass  
P.B.No. 2277  
Palarivattom P.O.  
Kochi - 682 025, India

## स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)  
सुगन्ध भवन  
एन.एच.बाईपास  
पी. बी. नं. 2277  
पालारिवट्टम पी.ओ.  
कोच्ची - 682 025, भारत

सं.विपणन-नीलामी/समय-सारणी/01/2018

02.03.2023

### परिपत्र

विषय: इलायची (छोटी) के लिए ई-नीलामी आयोजित करने की समय-सारणी।

बोडिनायकनूर में 25 मार्च 2023 को और पुट्टडी में 22 अप्रैल, 2023 को लाइसेन्स प्राप्त नीलामकर्ता द्वारा विशेष ई-नीलामी चलाने की समय सारणी नीचे दी गई है:

विशेष ई-नीलामी आयोजित करने वाले ई-नीलामकर्ता का नाम	तारीख	दिन	विशेष ई-नीलामी के लिए स्थान	समय	विशेष ई-नीलामी के लिए पूलिंग की तारीख	एसआरडी, पुट्टडी को नमूनों का वितरण
मैसर्स द कार्डमम प्लांटर्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मैसर्स हैडर सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड। मैसर्स एमएस एंटरप्राइजेज लिमिटेड। मैसर्स साउथ इंडियन ग्रीन कार्डमम कंपनी लिमिटेड।	25.03.2023	शनिवार	बोडिनायकनूर	हाउसकीपिंग गतिविधियों के लिए प्रत्येक नीलामी के बीच 20 मिनट के अवकाश और 45 मिनट के मध्याह्न भोजन अवकाश के साथ सुबह 9.30 बजे से।	10.03.2023 एवं 11.03.2023	12.03.2023
मैसर्स एमएस एंटरप्राइजेज लिमिटेड। मैसर्स साउथ इंडियन ग्रीन कार्डमम कंपनी लिमिटेड। मैसर्स हैडर सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड। मैसर्स द कार्डमम प्लांटर्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।	22.04.2023	शनिवार	पुट्टडी	हाउसकीपिंग गतिविधियों के लिए प्रत्येक नीलामी के बीच 20 मिनट के अवकाश और 45 मिनट के मध्याह्न भोजन अवकाश के साथ सुबह 9.30 बजे से।	07.04.2023 एवं 08.04.2023	09.04.2023

बोर्ड पायलट चरण के बाद विशेष ई-नीलामी से संबंधित सुविधाओं/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार रखता है।

नीलामकर्ता पुट्टडी एवं बोडिनायकनूर में विशेष ई-नीलामी आयोजित करने के लिए संलग्नक -1 के रूप में संलग्न सामान्य अनुदेश एवं दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।

केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ संबंधित जिला प्रशासन द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अधीन समय-सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है।



निदेशक (विपणन)

प्रति

1. मैसर्स एमएएस इंटरप्राइजेज लिमिटेड।
2. मैसर्स साउथ इंडियन ग्रीन कार्डमम कंपनी लिमिटेड।
3. मैसर्स हैडर सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड।
4. मैसर्स द कार्डमम प्लांटर्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।

प्रतिलिपि:

उप निदेशक बोडिनयाकनूर / पुट्टाडी।

उप निदेशक (ईडीपी) - बोर्ड की वेबसाइट पर परिपत्र होस्ट करने के लिए।

**सामान्य अनुदेश :**

1. विशेष ई-नीलामी प्रति दिन चार नीलामी में आयोजित की जाएगी। हाउसकीपिंग गतिविधियों के लिए प्रत्येक नीलामी के बीच 20 मिनट के ब्रेक और 45 मिनट के लंच ब्रेक के साथ नीलामी सुबह 9.30 बजे से शुरू होती है।
2. सुरक्षित सामाजिक दूरी मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए, पुट्टडी ई-नीलामी केंद्र पर वैकल्पिक टर्मिनलों में और बोडिनायक्कनूर ई-नीलामी केंद्र में टर्मिनल के वैकल्पिक / विपरीत दिशाओं में बैठने की व्यवस्था की जाएगी
3. नीलामकर्ताओं द्वारा स्थापित ई-नीलामी केंद्रों में किसानों द्वारा लाई गई इलायची की पूलिंग को प्राथमिकता दी जाए।

**दिशा-निर्देश :**

पूलिंग एवं ई-नीलामी केंद्रों में हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन करने के लिए निम्न लिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

- 1) प्रतिभागियों को सख्त कोविड प्रोटोकॉल मानकों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
- 2) ई-नीलामी के नीलामीकर्ता और प्रतिभागी जिला प्रशासन और जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
- 3) नीलामीकर्ता पूलिंग सेंटर/भंडारण क्षेत्रों/ई-नीलामी केंद्रों में किसान बोलीदाताओं, श्रमिकों के उपयोग के लिए पर्याप्त हाथ धोने की सुविधा, मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे।
- 4) नीलामकर्ता पूलिंग सेंटर/भंडारण क्षेत्रों/ई-नीलामी केंद्रों में अपनाए जाने वाले वाशिंग प्रोटोकॉल से संबंधित नोटिस प्रदर्शित करेगा।
- 5) इलायची के बोरे / बारदानों का वजन ऐसा होना चाहिए कि कार्यकर्ता बिना किसी अन्य कार्यकर्ता के सहयोग के गोदाम के अंदर स्वतंत्र रूप से संभाल कर रख सकें / ले जा सकें, ताकि सहकर्मियों के संपर्क से बचा जा सके।
- 6) इलायची तथा पूलिंग केन्द्रों/नीलामी केन्द्रों की लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय किये जायेंगे।
- 7) नीलामीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि इलायची पूलिंग / संग्रह केंद्रों भीड़ से बचा जाए। भीड़ से बचने के लिए टोकन सिस्टम जैसे उचित उपाय अपनाए जा सकते हैं।
- 8) नीलामीकर्ता पूलिंग केंद्र / भंडारण क्षेत्र / नीलामी केंद्र में न्यूनतम कर्मचारी सदस्यों को नियुक्त करेगा।
- 9) स्वास्थ्य रक्षा एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पूलिंग / नीलामी केंद्रों की सफाई दैनिक आधार पर की जाएगी।
- 10) श्रमिक, किसान, व्यापारी, नीलामकर्ताओं के कर्मचारी किसी भी समय पूलिंग केंद्रों/नीलामी केंद्रों में सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
- 11) नीलामकर्ता आपात स्थिति के दौरान उपयोग के लिए पूलिंग/नीलामी केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारियों / एम्बुलेंस/अग्नि व बचाव आदि के फोन नंबर प्रदर्शित करेगा।